फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

23-08-2013

आवेदक श्री परिजात सौरभ, पिता–डॉ0 उदय नारायण सिंह, सा0–फ्लैट नं0–KSFA3-2/17, लोहिया नगर, हाउसिंग कॉलोनी, कंकड़बाग, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना से प्राप्त एक .एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–102/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्याप प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–23.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे वर्ष 2011 से माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में Practice कर रहे हैं। कतिपय वादों में विपक्षियों का हि प्रभावित होने पर उनसे उन्हें जान–माल के खतरा होने की आशंका रहती है। तदोपरा उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध कि गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–936/गो0, दिनांक–24.06.20 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पत्रकारनगर के जाँच प्रतिवे के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया थानाध्यक्ष, पत्रकार नगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे माननीय उच्च न्यायालय अधिवक्ता हैं। तदोपरान्त अपने जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक के शस्त्र अनु आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शर्ति वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके

उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री परिजात सौर पिता–डॉ0 उदय नारायण सिंह, सा0–फ्लैट नं0–KSFA3-2/17, लोहिया नगर, हाउसिं कॉलोनी, कंकड़बाग, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल व सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल श अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री सौरभ को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षि अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासप साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्याल में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त क लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/8/17

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

23/8/17

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।